



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122020-223841
CG-DL-E-21122020-223841

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4069]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 2020/अग्रहायण 30, 1942

No. 4069]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2020/AGRAHAYANA 30, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4632(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1927 (अ) तारीख 10.06.2020 एवं का.आ. 2196 (अ) तारीख 22.06.2020 जो क्रमशः भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 18.06.2020 एवं 03.07.2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिशा राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) एवं स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

**जगदिशपुर - हलदिआ - बोकारो - धामरा पाइपलाइन और स्पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट
रांची -अनुगुल पाइपलाइन (सेकसन 3A)
अनुसूची**

राज्य - ओडिशा

जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नंबर.	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	वर्गमिटर
1	2	3	4	5		
अंगुल	बंरपाल	रजनीपाल	385	00	01	21
			770/1309	00	01	21
			385/1319	00	00	81
			385/1320	00	00	81
			383/1341	00	00	49
			383/1342	00	00	65
			425/1270	00	05	03
अंगुल	छेंन्डिपदा	मकुन्दपुर	2482/2894	00	06	07
			2387	00	00	81
			2388	00	04	86
			2469	00	08	09
			2467	00	02	02
			2454	00	00	81
			2453	00	02	83
			2455	00	00	40
			2502	00	00	40
			2452	00	21	45
			2450	00	02	43
			2451	00	07	69
			2446	00	00	40
			2503	00	02	43
			2441	00	04	45
			2504	00	00	81
			2515	00	00	40
			2517	00	02	43
			2516	00	04	45
			2519	00	02	83
			2520	00	01	21

	2521	00	23	07
	2524	00	01	21
	2522	00	00	81
	2523	00	01	62
	2526	00	04	45
	2527	00	04	86
	2529	00	00	81
	2530	00	04	86
	2532	00	00	81
	2531	00	00	81
	2533	00	04	05
	2555	00	00	81
	2554	00	00	81
	2535	00	00	81
	2534	00	04	05
	2553	00	04	86
	2549	00	00	40
	2548	00	00	81
	2550	00	10	12
	2547	00	03	24
	2635	00	14	16
	2636	00	07	28
	2638	00	13	76
	2637	00	31	97
	2631	00	16	60
	2630	00	15	38
	2596	00	02	43
	2629	00	03	64
	2606	00	08	90
	2622	00	15	78
	2621	00	04	86
	2608	00	04	86
	2609	00	10	52
	2610	00	08	09
	2852	00	02	43
	2859	00	04	45
	2860	00	00	40
	2858	00	12	95

[फा.सं. एल-14014/24/2020-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2020

S.O. 4632(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1927 (E) dated 10.06.2020 and S.O. 2196 (E) dated 22.06.2020 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 18.06.2020 and dated 03.07.2020 respectively, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying the pipeline have been considered and disposed off by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

JAGDISHPUR - HALADIA - BOKARO - DHAMRA PIPELINE & SPUR PIPELINE PROJECT						
RANCHI- ANGUL PIPELINE (SECTION-3A)						
SCHEDULE						
STATE : ODISHA						
DISTRICT	TEHSIL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA		
				HECT.	ARE	SQ. MTR.
1	2	3	4	5		
ANGUL	BANARPAL	RAJANIPAL	385	00	01	21
			770/1309	00	01	21
			385/1319	00	00	81
			385/1320	00	00	81
			383/1341	00	00	49
			383/1342	00	00	65
			425/1270	00	05	03
ANGUL	CHHENDIPADA	MUKUNDPUR	2482/ 2894	00	06	07
			2387	00	00	81

2388	00	04	86
2469	00	08	09
2467	00	02	02
2454	00	00	81
2453	00	02	83
2455	00	00	40
2502	00	00	40
2452	00	21	45
2450	00	02	43
2451	00	07	69
2446	00	00	40
2503	00	02	43
2441	00	04	45
2504	00	00	81
2515	00	00	40
2517	00	02	43
2516	00	04	45
2519	00	02	83
2520	00	01	21
2521	00	23	07
2524	00	01	21
2522	00	00	81
2523	00	01	62
2526	00	04	45
2527	00	04	86
2529	00	00	81
2530	00	04	86
2532	00	00	81
2531	00	00	81
2533	00	04	05
2555	00	00	81

	2554	00	00	81
	2535	00	00	81
	2534	00	04	05
	2553	00	04	86
	2549	00	00	40
	2548	00	00	81
	2550	00	10	12
	2547	00	03	24
	2635	00	14	16
	2636	00	07	28
	2638	00	13	76
	2637	00	31	97
	2631	00	16	60
	2630	00	15	38
	2596	00	02	43
	2629	00	03	64
	2606	00	08	90
	2622	00	15	78
	2621	00	04	86
	2608	00	04	86
	2609	00	10	52
	2610	00	08	09
	2852	00	02	43
	2859	00	04	45
	2860	00	00	40
	2858	00	12	95

[F.No. L-14014/24/2020-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.